

संज्ञा**राष्ट्रीय पारिधिक् शिक्षण परिषद,****उत्तर प्रदेश संघ**

संज्ञा- पारिधिक् शिक्षण संघ/2022/7817

संज्ञा दिनांक: 30/08/2022

:-संज्ञा-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली/फार्मीली कउमिशन ऑफ इंजिनरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त पारिधिक् शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश संघ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 18/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नए सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम विशेष क्षमता कृति सहित अन्य नयी या विचार करत हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को पारिधिक् शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित करने के अर्पण पाठ्यक्रम एवं उसमें अभिलेखित क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1172-BEACON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सं.अनुमोदित/टीएच/पीसी/आई/द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित पर्येक्ष क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित पर्येक्ष क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था स0अनुमोदित/टीएच/पीसी/आई/द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिधिक् शिक्षण परिषद एक्ट 1982 तथा पारिधिक् शिक्षण परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2005, रेगुलटर विनियमवली-2010 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बरसों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो बरसों तक पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बरसों पाठ्यक्रमों (दो बरसों फार्मीली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक प्राथमिक से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राथमिकों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाते शासनादेशों का पालन करना, और तदनुसार कार्यवाही किये जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त विशेष परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

उच्च शिक्षण आयोग

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविच/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या/दिनांक: 02/06/2021

आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा सैद्धि सं 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक- 02/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पदव्यवस्था/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नती पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित करने के अतिरिक्त पदव्यवस्था एवं उच्च शिक्षण आयोग द्वारा सम्बद्धता विस्तार प्राप्त की जाती है:-

संस्था का पते का नाम : 1173-BEACON INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PARTAPUR, MEERUT

क्र.सं.	संस्था का नाम	सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद) द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सीमेन्ट विनियमावली-2018 तथा अन्य विहित विधानों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पदव्यवस्था हेतु रु 30-150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पदव्यवस्था हेतु रु- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पदव्यवस्था (दो वर्षीय कार्मसी पदव्यवस्था के अतिरिक्त) हेतु रु-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रत्या किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सत्र द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीका निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनतम दर लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद) तथा उच्च शिक्षण आयोग, संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्राप्त करने हेतु विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सारनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद) से आवश्यक सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कताये गये विनियमों/अधिनियमों/सारनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का

Principal
Beacon Institute of Technology
Partapur, Meerut

Week 4: The new state

These paragraphs express the view of the author of the *Declaration of Independence* that the British government has violated the rights of the American people. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways. The author is arguing that the British government has violated the rights of the American people in several ways.

THE NEW STATE

1776

DECLARATION OF INDEPENDENCE

THE NEW STATE

DECLARATION OF INDEPENDENCE

DECLARATION OF INDEPENDENCE

DECLARATION OF INDEPENDENCE

1776



- 1. एक ही जाति की दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 2. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 3. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 4. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 5. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 6. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 7. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 8. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 9. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।
- 10. एक ही जाति के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सम्बन्धों को 'साम्य' सम्बन्ध कहते हैं।

प्रमुख शिक्षक
श्री

पता: गाँव, जिला, राज्य, पिन-कोड

संस्था का नाम

संस्था का नाम, पता, जिला, राज्य, पिन-कोड

प्रमुख शिक्षक
श्री

Handwritten signature